रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03042024-253525
CG-MH-E-03042024-253525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946
No. 223]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 2 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 237(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी 'घ') भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक गठन - ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर आशुलिपिक श्रेणी 'घ' का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा संबंधित श्रेणियों में की गई उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परीवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	179*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद।	स्तर-4 (25500-81100)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(6)	(7)
18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण -1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं उत्तीर्ण या समतुल्य परीक्षा। टिप्पण : कंप्यूटर पर अंग्रेजी में दस मिनट की अवधि के अस्सी शब्द प्रति मिनट पचास मिनट में लिप्यंतरण करना होंगे।

या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
आयु – नहीं। अर्हता – हां।	एक वर्ष	i) दस प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और ii) सीधी भर्ती द्वारा नब्बे प्रतिशत।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 2 (19900-63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है । सीधी भर्ती द्वारा : पात्र अन्यर्थियों का चयन परमाणु ऊर्जा विभाग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा आयोजित लिखित/वस्तुनिष्ठ परीक्षा और आशुलिपि कौशल परीक्षा के माध्यम से होगा। टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। टिप्पण 2 – स्तंभ (7) के अनुसार विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से चयन में लिखित/वस्तुनिष्ठ परीक्षा और आशुलिपि कौशल परीक्षा सम्मिलित है। टिप्पण 3 – प्रोन्नत और सीधी भर्ती के व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। टिप्पण 4 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	क) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. निदेशक (कार्मिक या प्रशासन) या प्रमुख, कार्मिक प्रभाग या संबंधित इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक- सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों में से एक से प्रशासनिक अधिकारी-III / उप स्थापना अधिकारी समूह 'क' अधिकारी- सदस्य। ख) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : 1. निदेशक (कार्मिक या प्रशासन) या प्रमुख, कार्मिक प्रभाग या संबंधित इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -	लागू नहीं होता।

अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक- सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों में से एक से प्रशासनिक अधिकारी-III / उप स्थापना अधिकारी समूह 'क' अधिकारी- सदस्य।	

[फा. सं. 19/2/2023-सीसीएस/4934]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd April, 2024

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade 'D' in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Stenographer Grade 'D') Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Initial constitution - The incumbents holding the posts of Stenographer Grade 'D' on regular basis prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade 'D'.	179*(2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	(7)
Between 18 years and 27 years (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Division of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	Pass in 12th Standard or equivalent examination from a recognised Board or University. Note:- Eighty words per minute of ten minutes duration to be transcribed in fifty minutes in English on computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment - Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Age- No. Qualification-Yes.	One year.	i. ten per cent. by promotion through departmental qualifying examination, failing which by direct recruitment; and ii. ninety per cent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion through departmental qualifying examination: Lower Division Clerk in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with two years of regular service in the grade. By Direct Recruitment:	A. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Personnel and Administration) or Head,	Not applicable.

Selection of eligible candidates shall involve written or objective test and stenography skill test conducted by the Department of Atomic Energy or any other recruitment agency. Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. Note 2.- Selection through departmental qualifying examination involves written or objective test and stenography skill test as per column-(7). Note 3.- Promotees and direct recruits shall undergo training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. Note 4.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Personnel Division or Chief Administrative Officer of the concerned Unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned Unit- Member; 3. Administrative Officer – III / Dy. Establishment Officer from one of the constituent units of the Department of Atomic Energy- Member. B. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Personnel and Administration) or Head, Personnel Division or Chief Administrative Officer of the concerned Unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned Unit- Member; 3. Administrative Officer – III / Dy. Establishment Officer from one of the constituent units of the Department of Atomic Energy- Member.	

[F. No. 19/2/2023-CCS/4934]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA